कार्यक्रम/स्कीम/योजना नाम	निधियों का उपयोग (करोड़ रूपये में)		कुल सृजित श्रम दिन (लाख में)		सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख में)		सदस्यों की संख्या	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)	1140	1110	-	-	19	17	-	-
ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा)	03	74	-	-	-	-	581944	460409

गांवों में पेयजल की समस्या

441. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की संख्या का पता लगाया है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 तथा 1997-98 के अंत तक ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी,

(घ) इस योजना के अतंर्गत लोगों को कितनी अधिकतम और न्यूनतम दूरी तय करनी पडती है, और

(ड) देश में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्तिम लक्ष्य और तारीख निर्धारित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकार राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मुहैया करा कर राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करता है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1990-91 के अंत तक पेयजल की समस्या वाले चयनित गांवों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सलंग्र है। (नीचे देखिये) राज्य सरकारों द्वारा 1991-94 के दौरान कवरेज के लिए ग्रामीण बस्तियों को इकाई मानते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था तथा 1996-97 के दौरान पुनः सत्यापित किया गया था और 1.4.1998 तक का विवरण भी संलग्र है। (नीचे देखिये)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 8वीं योजनावधि के दौरान 3,39,705 गांवों/बस्तियों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

(घ) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों के 1.6 कि.मी. तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई के भीतर सार्वजनिक जल आपूर्ति स्रोत उपलब्ध कराना होता है।

(ड) राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कार्य योजना स्पष्ट करती है कि राजस्थान में कुछेक को छोड़कर देश की सभी ग्रामीण बसावटों को 9वीं योजनावधि के दौरान पेयजल सुविधांए उपलब्ध कराए जाने की संभावना है बशर्ते की निधियों की उपलब्धता हो।

विवरण

1.4.91 और 1.4.98 तक कवर न किए गए गांवों/बसावटों की राज्य/संघवार संख्या

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1.4.91 तक	1.4.98 तक
आन्ध्र प्रदेश	0	0
अरूणाचल प्रदेश	6	666
असम	88	8623
बिहार	7	2522
गोआ	0	35
गुजरात	52	1008
हरियाणा	75	60
हिमाचल प्रदेश	797	4590
जम्मू व कश्मीर	662	2618
कर्नाटक	0	1942
केरल	0	990
मध्य प्रदेश	83	6909
महाराष्ट्र	52	2985
मणिपुर	0	220
मेघालय	1015	1005
मिजोरम	0	24
नागालैंड	19	448
उड़ीसा	1101	7136
पंजाब	784	6000
राजस्थान	139	7077
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
त्रिपुरा	10	888
उत्तर प्रदेश	449	384
पं0 बंगाल	0	0
अं0 नि0 द्वीप समूह	0	11
चंडीगढ़	0	0
दा.ना. हवेली	0	128
दमन व द्वीव	0	0
लक्षद्वीप	0	0
पांडिचेरी	0	0
कुल जोड़	5333	56269

मध्य प्रदेश में ग्रामीण शिल्पकारों के लिए लागू की गई योजनाएं

442. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण शिल्पकारों के उत्थान हेतु तैयार/लागू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके,

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान उन्हें क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है,

(ग) मध्य प्रदेश में उक्त योजनाओं को किस हद तक लागू किया गया है, और

(घ) विगत दो वर्षो के दौरान उक्त योजना के अतंर्गत किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया गया और किन-किन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबगौड़ा पाटील) : (क) और (ख) यह मंत्रालय उन्नत किस्म के औजारों की ग्रामीण कारीगरों को आपूर्ति की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। जिसका उद्देश्य उन्नत औजारों के प्रयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण कारीगरों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उनके उत्पादन और आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत बुनकरों, दर्जियों, सुई से काम करने वालों, बीड़ी बनाने वाले, कामगारो को छोडकर विभिन्न शिल्पों में कार्यरत परपरागत ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट दिए जाते हैं विद्युत चलित औजार किट के लिए 4, 500 रू0 तथा हाथ के औजार किट के लिए 2,000 रूपये की औसत लागत है। संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा इकाई लागत निर्धारित की जाती है। औजार किट की लागत की 90% की राशि भारत सरकार द्वारा को लागत के रूप में दी जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत लाभार्शी को देनी होती है।

वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के अंतर्गत बजट आबटंन 45.00 करोड़ रूपये था जिसे 1998-99 के दौरान बढ़ाकर 60.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है।